

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल केम्प इन्दौर

रिविजन याचिका क्रमांक

/2016

निग -1620-8332-16

1. सुनिताबाई पति स्व. श्री बलवन्तसिंह राजपूत  
निवासी- ग्राम धरावरा तहसील व जिला धार

266/25-4-16

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संजय इन्ड  
श्री भोहरा शर्मा  
प्रार्थी/अभिमानक द्वारा दिनांक 25/04/2016  
को प्रस्तुत।


2. सूरज पिता स्व. बलवन्तसिंह राजपूत  
अवयस्क तर्फे पालनकर्ता माता श्रीमती  
सुनिताबाई पति स्व. श्री बलवन्तसिंह राजपूत  
निवासी- ग्राम धरावरा तहसील व जिला धार

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

3. किरण पिता स्व. बलवन्तसिंह राजपूत  
अवयस्क तर्फे पालनकर्ता माता श्रीमती  
सुनिताबाई पति स्व. श्री बलवन्तसिंह राजपूत  
निवासी- ग्राम धरावरा तहसील व जिला धार  
विरुद्ध

.....प्रार्थीगण

1. श्रीमती शोभा पति रूपसिंह पटेल  
निवासी माण्डव नाका धार तहसील व जिला  
धार (म.प्र)
2. शिवम पिता रूपसिंह पटेल  
अव्यस्क तर्फे पालनकर्ता माता श्रीमती  
शोभा पति रूपसिंह पटेल  
निवासी माण्डव नाका धार तहसील व जिला  
धार (म.प्र)
3. अनुज पिता रूपसिंह पटेल अवयस्क तर्फे पालनकर्ता



*[Handwritten signature]*  
Date note of  
21-6-16


(2)

रिविजन याचिका धारा 50 म.प्र. मू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत




प्रार्थीगणों की ओर से सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थीगण यह रिविजन याचिका माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रकरण क्रमांक 0/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 जिसके माध्यम से प्रतिप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन पत्र बिना प्रार्थीगणों को सुने, बिना उसका उल्लेख किये स्वीकार करते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिये ग्राह्य कर दिया गया, से असन्तुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर यह रिविजन याचिका सादर प्रस्तुत करते हैं कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

11 /  


सुनील / शोभा  
R 1620 - 18/2/16 em

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.2016	<p>आवेदकगण की ओर से श्री मोहन शर्मा अभिभाषक उपाध्यक्ष गृहप्रता पर सुना गया। अनुक्रमणीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.2.2016 की सत्य प्रतिकृति का अवेदन किया गया। अनुक्रमणीय अधिकारी द्वारा अवेध विधान की धारा 5 के अवेदन पत्र पर कोकना टुआ आदेश पालित नहीं किया गया है। अतः अनुक्रमणीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अवेध विधान की धारा 5 के अवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर कोकना टुआ आदेश पालित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।</p> <p></p>	<p> 21/6/16</p> <p> अध्यक्ष</p>